आवश्यक सूचना

1. व्यक्ति विशेष की जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति के आधार पर होता है , पति की जाति के आधार पर नहीं |
2. जाति प्रमाण - पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है |
3. स्थायी आवास प्रमाण - पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है , जबकि अस्थायी आवास प्रमाण - पत्र की वैधता निर्गत तिथि से एक वर्ष के लिए होती है |
4. आय प्रमाण - पत्र की मान्यता निर्गत तिथि से एक वर्ष के लिए होती है |
5. सत्यापन के पश्चात् अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण - पत्र अवश्य लौटा दिए जायेंगे |
6. क्रीमीलेयर में नहीं आने संबंधी विहित प्रपत्र में अभ्यर्थियों से अण्डरटेकिंग प्राप्त कर पुराने क्रीमीलेयर रहित प्रमाण - पत्र के आधार पर नया क्रीमीलेयर रहित प्रमाण - पत्र निर्गत किया जा सकता है |
7. क्रीमीलेयर रहित प्रमाण - पत्र बार - बार बनवाने की आवश्यकता नहीं है | राज्याधीन सेवाओं हेतु पुराने प्रमाण - पत्र के साथ अण्डरटेकिंग देकर आवेदन दिया जा सकता है |